



153

न्यायालय श्रीमान् बोर्ड ऑफ रेवेन्यू न्यायिक, कैम्प कोर्ट रोवा म०प०
निगरानी न० ७० /2017



RS-301-

RS0523117

श्रीमती लुचम पटेल पुत्री श्री स्व० विद्याधीर प्रसाद पटेल पत्नी श्री रामचन्द्र
पटेल उम्र 65 साल, पता घरू कर्घ, निवासी नेहरू नगर समान, तह० हुन्नर
जिला रोवा म०प० --- निगरानी न० कर्ती

बनाम

- 1:- रममान पटेल तनय राम निहोर पटेल, निवासी ग्राम समान, तह० हुन्नर जिला रोवा म०प०
- 2:- श्रीमती रजमंती पटेल पत्नी श्री विद्याधीर पटेल
- 3:- रामाआश्रय पटेल तनय स्व० विद्याधीर पटेल
- 4- रमेका पटेल तनय स्व० विद्याधीर पटेल
- 5- रोहिणी पटेल तनय स्व० विद्याधीर पटेल

सभी निवासी ग्राम समान, तह० हुन्नर जिला रोवा म०प०

6- म०प० शासन

--- रेखा ठगण /
गैर निगरानी कर्ती

निगरानी विरुद्ध आदेश न्यायालय श्रीमान् अपर
अ युक्त महोदय रोवा सम्भाग रोवा प्रकरण न०
69/अपील/13-14, आदेश दिनांक 25-1-17

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म०प० भू रा०सं०
1959 ई०

मान्यवर,

निगरानी के आधार निम्नलिखित है:-

1:- यहाँक अधी० न्यायालय क आदेश विधि एवं प्रक्रिया के विरुद्ध होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

Handwritten signature



सि.अ.न.३५५

क्रमसं/2


अधिवक्ता श्रीमलेश
विवादी इलाक़ा
03.01.17

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ-अ

मामला क्र० R.5052-दो/17

जिला-रीवा

कुसुम पटेल/तेजभान पटेल

(1)	(2)	(3)
24.01.18	<ol style="list-style-type: none">1. प्रकरण प्रस्तुत।2. आवेदक तथा उनके अधिवक्ता की पुकार करायी गयी किन्तु सूचना उपरांत उपस्थित नहीं है।3. चूकि आवेदक तथा अभिभाषक सूचना उपरांत उपस्थित नहीं है। अतः संहिता की धारा-35(2) के तहत प्रकरण अदम पैरवी में खारिज किया जाता है।4. आदेश की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को भेजी जावे, तत्पश्चात प्रकरण पंजी से समाप्त होकर दा.द. हो। <p style="text-align: right;"> सदस्य</p>	